न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़

पीठासीन अधिकारी : अवधेश मीना, आई.ए.एस.

प्र.सं. 140 / 2023
जी.सी.एस.एस. नं. : 2023 / 534

1. संजय कुमार पुत्र बाबूलाल जाति धानक निवासी वार्ड नं. 12 रायसिंहनगर तहसील रायसिंहनगर

—अपीलार्थी

बनाम

1. श्यामलाल पुत्र बाबूलाल जाति धानक निवासी वार्ड नं. 12, रायसिंहनगर तहसील रायसिंहनगर
2. बेबी उर्फ सुष्मिता रानी पुत्री बाबूलाल पत्नी पवन कुमार जाति धानक निवासी वार्ड नं. 7 म.नं. 1372, डॉक्टर राजेन्द्र कामरेड वाली गली, मलोट जिला मुक्तसर
3. हंसराज पुत्र प्रेमचन्द जाति धानक निवासी एमडी कॉलेज के पीछे, मलोट जिला मुक्तसर (पंजाब)
4. विक्की पुत्र हंसराज जाति धानक निवासी एमडी कॉलेज के पीछे, मलोट जिला मुक्तसर (पंजाब)
5. सिकन्दर पुत्र हंसराज जाति धानक निवासी एमडी कॉलेज के पीछे, मलोट जिला मुक्तसर (पंजाब)
6. गोविन्द पुत्र हंसराज जाति धानक निवासी एमडी कॉलेज के पीछे, मलोट जिला मुक्तसर (पंजाब)
7. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार भू.अ. श्रीविजयनगर

—प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :—

1. श्री बलदेव सिंह, अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री चरण जीत सिंह, प्रत्यर्थी सं. 1
3. श्री राजेन्द्र सिंह, अधिवक्ता प्रत्यर्थी सं. 2 से 6

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)

—:: निर्णय ::—

दिनांक : 30/07/2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि—

1. अपीलार्थी के द्वारा यह अपील मय प्रा. पत्र धारा 5 मियाद अधि. व 96 सीपीसी तहसीलदार श्रीविजयनगर के आदेश दिनांक 12.01.2023 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं जिसके द्वारा अपीलाधीन भूमि का वसीयत के आधार पर इन्तकाल सं. 347 दिनांक 21.03.2023 स्वीकृत किया गया है के विरूद्ध पेश की गयी हैं।
2. अपील मियाद के बिन्दू पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज की जाकर प्रत्यर्थीगण को तलब किया गया एवं अधिनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश संबंधित अभिलेख तलब किया गया। उभयपक्ष अधिवक्तागण की अपील व प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गयी।
3. अपीलार्थी अधिवक्ता अपनी बहस में कथन किया कि अपीलार्थी के पिता बाबूलाल के नाम से चक 6 एसडीबी तहसील श्रीविजयनगर मु.नं. 23 प.नं. 213 / 372 के कि.नं. 1 ता 10, 13, 14, 15, 16, 25 में कुल 15 बीघा खातेदारी भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी। अपीलांट के पिता बाबूलाल की मृत्यु दिनांक 30.04.2014 को

जिला कलक्टर अनूपगढ़

हो चुकी हैं व अपीलांट की माता विमला देवी का भी देहान्त हो चुका हैं। बाबूलाल के देहान्त के उपरान्त अपीलांट, रेस्पों. सं. 1 व 2 एवं सरोज पुत्री बाबूलाल विधिक वारिस थे जिसमें सरोज पुत्री बाबूलाल की मृत्यु दिनांक 30.08.2019 को हो चुकी है मृतक सरोज के रेस्पों. सं. 3 से 6 वारिस हैं। प्रत्यर्थी सं. 1 बाबूलाल के साथ हमेशा लड़ाई झगड़ा करता था और अलग निवास करता था इसलिए अपीलांट के पिता बाबूलाल ने अपने जीवनकाल में ही उक्त 15 बीघा भूमि में से कि.नं. 5,6,15,16,25 की कुल 4–10 बीघा भूमि जरिए दान पत्र रेस्पो. सं. 1 के नाम कर दी थी जो रिकार्ड में दर्ज हो गयी। शेष भूमि बाबूलाल के नाम से ही रिकार्ड में दर्ज रही। शेष भूमि में रेस्पों. सं. 1 का कोई हित निहित शेष नहीं रहा। इस संबधं में बाबूलाल व रेस्पों. सं. 1 श्यामलाल द्वारा ईकरार/शपथ पत्र भी प्रस्तुत किये गये हैं। बाबूलाल के द्वारा शपथ पत्र दिनांक 06.01.2005 के द्वारा प्रत्यर्थी श्यामलाल व उसकी पत्नी सुमित्रा देवी को अपनी चल व अचल सम्पत्ति से महरूम किया गया हैं। रेस्पों. सं. 1 श्यामलाल द्वारा दिनांक 31.01.2008 को इकरार पत्र के द्वारा यह ईकरार किया हैं कि पिता बाबूलाल द्वार चक 6 एसटीबी तह. श्रीविजयनगर में मु.नं. 213/372 में कि.नं. 5,6,15,16,25 में कुल 4 बीघा 10 बिस्वा नहरी रकबा श्यामलाल को दान में दिया हैं। बाबूलाल द्वारा चल व अचल सम्पति प्रात्त कर ली अब जो बकाया चल व अचल सम्पत्ति हैं उसमें मेरा कोई हक व हित नहीं तथा ना ही मैं भविष्य में प्राप्त कर सकूंगा। कि.नं. 25 में मकान व टयूबवैल है वह आधा आधा होगा। रेस्पों. सं. 1 ने बाबूलाल की तथाकथित वसीयत दिनांक 07.01.2014 अपने पक्ष में तैयार करवा ली और उसके आधार पर अधिनस्थ न्यायालय से आदेश दिनांक 12.01.2023 पारित करवा लिया। आदेश पारित करने से पूर्व अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया। आदेश काबिल निरस्ती के हैं। वसीयत अपंजीकृत दस्तावेज हैं। वसीयत के संबंध में पुलिस थाना रायसिंहनगर में एफआईआर दर्ज करवाई हैं। भूमि अपीलार्थी व रेस्पो. सं. 2 से 6 भूमि को ठेका पर काश्त करवाते थे। भूमि पर आज भी अपीलार्थी व रेस्पो. सं. 2 से 6 का कब्जा हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने से अपीलार्थी को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया हैं। इसलिए आलौच्य आदेश खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया। रेस्पोंडेंट सं.1 के द्वारा अपीलाधीन भूमि पर दस्तावेज वसीयत के आधार पर भूमि रिकार्ड में उनके नाम से होने के कारण भूमि पर कब्जा करने की धमकी दी तो अपीलार्थी को आलौच्य आदेश का ज्ञान हुआ हैं। अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा करते हुए अपील अन्दर मियाद ग्रहण कर अपील स्वीकार कर आलौच्य आदेश को निरस्त करने हेतु निवेदन किया।

4. अधिवक्ता प्रत्यर्थी सं. 2 से 6 ने अपनी बहस में अपीलार्थी अधिवक्ता के कथनों का समर्थन किया। अधिवक्ता प्रत्यर्थी सं. 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन भूमि बाबूलाल की थी जिसमें से कुछ भूमि उन्होंने पहले दान में दे दी यह उनकी स्वैच्छा से इससे वसीयत पर कोई प्रभाव नहीं हैं। अपीलार्थी द्वारा

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)

जिला कलक्टर अनूपगढ़

वसीयत को फर्जी होने का अंकन किया गया हैं। परन्तु उनके द्वारा वसीयत को किसी सक्षम न्यायालय में चुनौति दी गयी हो ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए आलौच्य आदेश पारित किया गया हैं। जो विधि सम्मत हैं। अपील सारहीन होने तथा मियाद बाहर प्रस्तुत किये जाने के कारण खारिज करने हेतु निवेदन किया।

5. बहस वकील उभयपक्ष पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी श्यामलाल के द्वारा अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार भू.अ., विजयनगर के समक्ष वसीयत के आधार पर इन्तकाल दर्ज करने हेतु आवेदन पेश करने पर पटवारी हल्का से रिपोर्ट प्राप्त कर वसीयत के गवाहान व प्रार्थी के शपथ पत्र प्राप्त कर सार्वजनिक सूचना जारी कर सूचना का समाचार पत्र में प्रकाशन करवा आपत्तियां आमंत्रित करते हुए कोई एतराज प्राप्त नहीं होने पर वसीयत के आधार पर नामान्तरण दर्ज करने का आदेश दिनांक 12.01.2023 को पारित कर दिया। अपीलार्थी द्वारा अपील न्यायालय के समक्ष दिनांक 11.12.2023 को प्रस्तुत की हैं। अपीलार्थी के द्वारा प्रा.पत्र धारा 5 मियाद अधि. मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर देरी को क्षमा करने हेतु निवेदन किया गया हैं। आलौच्य आदेश अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना पारित किया गया हैं। ना ही अपीलार्थी को अधिनस्थ न्यायायल द्वारा नोटिस जारी कर सुनवाई हेतु तलब किया गया हैं। ऐसी स्थिति में अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा करते हुए अपील अन्दर मियाद ग्रहण की जाती हैं।

6. अपीलार्थी द्वारा कथन किया गया हैं कि वसीयतकर्ता बाबूलाल द्वारा पूर्व में अपनी भूमि में से प्रत्यर्थी सं. 1 को उनके हिस्सा की भूमि दान पत्र के जरिए दे दी थी। और शेष भूमि में प्रत्यर्थी का कोई हिस्सा निहित नहीं रह गया हैं। अपीलार्थी के द्वारा छायाप्रति शपथ पत्र बाबूलाल दिनांक 06.01.2005 एवं ईकरार पत्र श्यामलाल दिनांक 31.01.2008 की छायाप्रतियां प्रस्तुत की गयी। अपीलार्थी के द्वारा ठेकानामा संजय कुमार आदि बहक बुधराम दिनांक 08.02.2017 की प्रस्तुत की गयी हैं। जिसके आधार पर भूमि पर प्रथम दृष्ट्या कब्जा अपीलार्थी का होना प्रतीत होता हैं। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कब्जा की जांच किये बिना ही आलौच्य आदेश पारित किया गया हैं। जबकि नामान्तरण दर्ज करने से पूर्व कब्जा के संबंध में जांच किया जाना आवश्यक हैं। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध पटवारी रिपोर्ट में भी भूमि पर कब्जा संबंधित कोई अंकन नहीं हैं।

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)

7. दस्तावेज वसीयत एक अपंजीबद्ध दस्तावेज है जिसके आधार पर निर्णय पारित करने से पूर्व वसीयतकर्ता के वारिसान को सुनवाई का अवसर दिया जाना न्यायसंगत था। अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा मृतक बाबूलाल के वारिसान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया हैं, जिस कारण उनका पक्ष अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं होने के कारण अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात रिकार्ड पर नहीं आ सके और अधिनस्थ न्यायालय द्वारा एकपक्षीय

जिला कलक्टर अनूपगढ़

आदेश पारित कर दिया गया। न्यायालय की राय में अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिया जाना न्यायसंगत हैं।

8. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती हैं तथा तहसीलदार श्रीविजयनगर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.01.2023 को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार श्रीविजयनगर को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी सं. 2 से 6 को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उनके जवाब/आपत्ति पत्र व साक्ष्य दस्तावेज प्राप्त कर रिकार्ड एवं मौका संबंधित जांच करते हुए पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 30/07/24 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अवधेश मीना)
जिला कलक्टर
अनूपगढ़
I.A.S
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
अनूपगढ़

न्यायालय जिला कलक्टर
अनूपगढ़ (राज.)